संवैधानिक मूल्य और भारत में राजनीतिक व्यवस्था

पा.सं.	अध्याय शीर्षक	कौशल	क्रियाकलाप
15	संवैधानिक मूल्य और भारत में राजनीतिक व्यवस्था	आत्म बोध, निर्णय क्षमता, समस्या समाधान	भारत की राजनीतिक व्यवस्था को समझना

अर्थ

संविधान एक कानूनी दस्तावेज होता है जो सरकार की संरचना तथा समाज की दिशा निर्धारित करता है। एक लोकतांत्रिक संविधान कुछ नियमों, सिद्धान्तों, प्रक्रियाओं तथा आदर्शों के सम्बन्ध में लोगों की आम सहमति को दर्शाता है तथा यह सामाजिक और राजनीतिक संस्थाओं का मार्गदर्शन करता है।

संविधान का महत्व

- संविधान देश का आधारभूत कानून होता है तथा यह विधि के शासन की स्थापना करता है।
- संविधान देश का सर्वोच्च कानून माना जाता है। सरकार का कोई नियम या निर्णय यदि इसके अनुरूप न हो तो उसे असंवैधानिक घोषित कर दिया जाता है।
- संविधान सरकार की शक्ति को सीमित करता है तथा सरकार को शक्ति का दुरूपयोग करने से रोकता है।
- हमारा संविधान लोगों की बदलती आवश्यकताओं और आकांक्षाओं को पूरा करने में सक्षम है।

भारत के संविधान के स्रोत

भारत के संविधान का निर्माण एक प्रतिनिधिक संस्था अर्थात संविधान सभा द्वारा किया गया। भारत के संविधान के निर्माण पर निम्न कारकों का गहरा प्रभाव पड़ा:

- स्वतंत्रता आन्दोलन के दौरान भारत के जनमानस में उभरी आकांक्षायें।
- ब्रिटिश शासन के दौरान हुये संवैधानिक और राजनैतिक बदलाव
- महात्मा गाँधी के विचार व सिद्धान्त
- विश्व के अन्य लोकतांत्रिक देशों के संविधान, उदाहरणार्थ संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, आस्ट्रेलिया, आयरलैण्ड आदि संविधानों का प्रभाव।

मुख्य बिन्दु

- **सम्प्रभुत्ता:** भारत एक संप्रभुत्तासम्पन्न राज्य है इसका अर्थ है पूर्ण राजनीतिक स्वतंत्रता, यह बाहरी हस्तक्षेप से स्वतंत्र तथा आन्तरिक रूप से भी सर्वोच्च सत्ता है।
- **समाजवाद:** इसका अर्थ है कि हमारे संविधान तथा भारत राज्य का लक्ष्य है सामाजिक परिवर्तन करना तथा सभी तरह की असमानताओं, विशेषकर सामाजिक और आर्थिक असमानताओं को दूर करना।
- **पंथनिरपेक्षता:** भारत एक पंथनिरपेक्ष देश है। यह किसी एक पंथ/धर्म या धार्मिक सोच से निर्देशित नहीं होता। राज्य किसी एक धर्म/पंथ को बढ़ावा नहीं देता बल्कि प्रत्येक धर्म के साथ समानता का व्यवहार करता है।

- **लोकतंत्र:** भारत के संविधान की प्रस्तावना इन शब्दों से शुरू होती है; "हम भारत के लोग भारत को ....." यह दर्शाता है कि भारत एक लोकतंत्र है तथा यहां शासन की अन्तिम शक्ति जनता में निहित है। लोग सार्वभौमिक व्यस्क मताधिकार के आधार पर अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करते हैं।
- **गणतंत्र:** भारत एक गणतंत्र है क्योंकि भारत का राष्ट्रपति जो कि भारत राज्य का अध्यक्ष है, जनता द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से आम लोगों में से चुना जाता है। वह वंशानुगत आधार पर शासन नहीं करता।
- **न्याय:** संविधान, भारत के सभी लोगों के लिये सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय सुनिश्चित करता है जिससे सामाजिक, आर्थिक समानता पर आधारित नई समाज व्यवस्था का निर्माण किया जा सके।
- **स्वतंत्रता:** संविधान प्रत्येक नागरिक को विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, आस्था और उपासना की स्वतंत्रता प्रदान करता है।
- **समानता:** प्रतिष्ठा और अवसर की समानता
- **बंधुता:** भारत के सभी लोगों में समान बंधुता को बढ़ावा देना
- **व्यक्ति की गरिमा:** लोकतांत्रिक शासन की सभी प्रक्रियाओं में प्रत्येक व्यक्ति की समान भागीदारी
- **देश की एकता और अखण्डता:** बंधुता वह मूल्य है जो देश की एकता और अखण्डता को मजबूत करने में सहायता करता है।

भारत के संविधान की प्रमुख विशेषतायें

- **लिखित संविधान** – भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है।
- **कठोर और लचीलेपन का मिश्रण** – कठोरता राजनीतिक व्यवस्था में दृढ़ता और निरन्तरता सुनिश्चित करती है जबकि लचीलापन लोगों की बदलती आकांक्षाओं को समाहित व समायोजित करने में सहायता करता है।
- **मौलिक अधिकार व कर्त्तव्य** – मौलिक अधिकार व्यक्ति को राज्य की स्वेच्छाचारी तथा असीमित शक्ति के प्रयोग से सुरक्षा प्रदान करते हैं। वे न्यायसंगत है तथा न्यायालय द्वारा बाध्यकारी हैं। मौलिक कर्त्तव्य राष्ट्रभक्ति, मानवतावाद, पर्यावरणवाद, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, ज्ञानार्जन आदि मूल्यों को दर्शाते हैं। नागरिकों से अपेक्षा की जाती है कि वे इनका पालन करें।
- **राज्य के नीति निदेशक सिद्धान्त** – इनका उद्देश्य सामाजिक आर्थिक न्याय को सुनिश्चित करने के लिए भारत में लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है।
- **एकीकृत न्यायिक व्यवस्था**

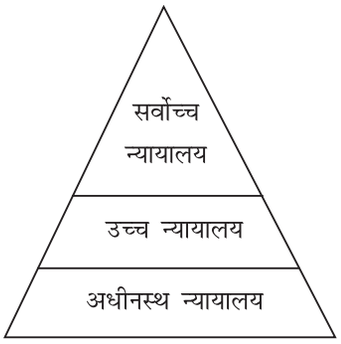

- **एकल नागरिकता** – संयुक्त राज्य अमेरिका और अन्य संघीय देशों के विपरीत, हमारे संविधान में एकल नागरिकता का प्रावधान है। प्रत्येक भारतीय भारत का नागरिक है चाहे वह किसी भी राज्य में निवास करता हो या जन्मा हो।
- **सार्वभौमिक व्यस्क मताधिकार** – प्रत्येक भारतीय नागरिक जिसकी आयु 18 वर्ष या इससे अधिक है, को बिना किसी भेदभाव के मतदान का अधिकार है।
- **संसदीय शासन व्यवस्था** – कार्यपालिका विधायिका का ही एक हिस्सा है तथा यह अपने कार्यों के लिये विधायिका के प्रति उत्तरदायी है। भारत का राष्ट्रपति भारत राज्य के अध्यक्ष के रूप में नाममात्र की कार्यपालिका है जबकि प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रीपरिषद् वास्तविक कार्यपालिका है तथा संसद के प्रति उत्तरदायी है।
- **अंतर्राष्ट्रीय शान्ति तथा न्यायसम्मत अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था को बढ़ावा:** संविधान निर्माता जानते थे कि संवैधानिक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिये अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति तथा न्यायसम्मत अन्तर्राष्ट्रीय व्यवस्था का होना आवश्यक है।

भारत में संघीय प्रणाली

संविधान भारत को राज्यों का संघ घोषित करता है। भारत के संविधान में वे सभी विशेषतायें हैं जो भारत में एक संघीय प्रणाली को स्थापित करने के लिये आवश्यक हैं। भारत की संघीय प्रणाली की विशेषतायें निम्न प्रकार से हैं-

- दोहरा शासन या शासन के दो स्तर
- केन्द्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन
  - (i) **संघ सूची** - 97 विषय; रक्षा, रेलवे, बैकिंग, मुद्रा आदि। इन विषयों पर केवल केन्द्र सरकार ही कानून बना सकती है।
  - (ii) **राज्य सूची** - 66 विषय; कानून और व्यवस्था, पुलिस, स्थानीय शासन आदि। इन विषयों का प्रशासन तथा कानून निर्माण राज्य सरकार के कार्यक्षेत्र में है।
  - (iii) **समवर्ती सूची** - 47 विषय; शिक्षा, वन, बिजली आदि। इन विषयों पर केन्द्र और राज्य सरकार दोनों ही कानून बना सकती है।

इसके अलावा वे विषय जिनका वर्णन इन तीनों सूचियों में नहीं मिलता अवशिष्ट शक्तियां कहलाती हैं। भारत में अवशिष्ट शक्तियां केन्द्र को प्रदान की गयी हैं।

- लिखित संविधान
- स्वतंत्र और निष्पक्ष न्याय प्रणाली तथा सर्वोच्च न्यायलय की व्यवस्था

भारतः शक्तिशाली केन्द्र वाली संघीय प्रणाली

- शक्तियों का विभाजन केन्द्र के पक्ष में
- सर्वोच्च न्यायालय के अधीन, एकीकृत न्यायिक व्यवस्था
- आपातकालीन प्रावधान, केन्द्रीय या संघीय सरकार को अत्यधिक शक्तिशाली बना देते हैं।
- राज्यों के राज्यपालों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है।
- राज्यों की केन्द्र पर वित्तीय निर्भरता
- अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान

स्वयं का मूल्यांकन कीजिए

प्र. एक राष्ट्र के रूप में अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय में हमें प्रतिष्ठित अस्तित्व प्रदान करने वाले संवैधानिक प्रावधान की व्याख्या कीजिए।

प्र. एक संवैधानिक मूल्य के रूप में पंथनिरपेक्षता का क्या अर्थ है?

प्र. "भारत का ढाँचा संघात्मक है परन्तु इसकी आत्मा एकात्मक है।" क्या आप इस कथन से सहमत है? उपयुक्त तर्क देकर अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए।